उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन जिले में साँची घी विक्रय हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र

वर्ष 2023–24

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456010
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456010 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063

उज्जैन जिला में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु तकनीकी ई–निविदा आवेदन आमंत्रण सूचना

उज्जैन जिले में साँची घी के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिए सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदनकर्ता फर्म/प्रतिष्ठान इस कार्य के नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाईट http://www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति की कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 05.12.2023 को www.mptenders.gov.in से रू.500/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 25.12.2023 समय 12:00 बजे तक
3	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.12.2023 समय 03:00 बजे से, ऑनलाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.100000/– (राशि रू. एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करें एवं रसीद अपलोड करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदकर्ता/आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइड से तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र में घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र रू.500/–के भुगतान पर ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद के साथ एवं ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् घी सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ को होगा।

यदि तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र में कोई सुधार/संशोधन किया जाता हैं तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

1	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 05.12.2023 को www.mptenders.gov.in से रू.500/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 25.12.2023 समय 12:00 बजे तक
3	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.12.2023 समय 03:00 बजे से, ऑनलाइन, उज्जैन दुग्ध संघ
4	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.100000/– (राशि रू. एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करें एवं रसीद अपलोड करें।
5	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/– (पांच सौ मात्र)
6	तकनीकी ई–निविदा आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सीरोड़ उज्जैन
7	घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तो का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
8	तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र – 03
9	वर्तमान दर संरचना	प्रपत्र – 04

<u>ऑनलाइन आवेदन अपलोड करते समय ध्यान रखा जावे कि :–</u>

- तकनीकी ई–निविदा आवेदन में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना ई.एम.डी. राशि प्रस्तुत किये गये तकनीकी ई–निविदा आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- तकनीकी ई–निविदा आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 04 पर सॉची घी की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक स्थिति एवं पूंजी निवेश का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

(तकनीकी अर्हताएं)

प्रपत्र 01

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		शासकीय/सक्षम संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड की छायाप्रति।
3	आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है।		GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
6	साँची घी वितरण हेतु स्वयं/फर्म के नाम से उपलब्ध लोडिंग वाहन (क्षमता 1 से 1.5 मे.टन) की संख्या (न्यूनतम 2 वाहन होना अनिवार्य हैं)		उपलब्ध वाहन के आर.टी.ओ. पंजीयन की छायाप्रति लगावें।
7	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक की छायाप्रति लगावें।
8	वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती की छायाप्रति संलग्न करें।
9	वितरक/होलसेलर का वैध परिवहन सहित FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।		FSSAI लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें
10	वितरक/होलसेलर का गुमास्ता लायसेंस		लायसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें।
11	घी/खाद्य तेल के विक्रय का टर्नओवर न्यूनतम तीन वर्ष मिलाकर (100 करोड़)		तीन वर्षों का (**ट्रेडिंग अकाउंट**) व्यापार खाता की सीए द्वारा सत्यापित प्रति। संलग्न करें।
12	घी/खाद्य तेल के विक्रय (वितरक/होलसेलर) का न्युनतम 3 वर्षो का अनुभव		संबंधित प्रतिष्ठित ब्रान्ड का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

13	ई.एम.डी. राशि रू.1,00,000 / –लाख)		ऑनलाईन जमा करें।
14	तकनीकी ई–निविदा आवेदन क्रय करने हेतु रू.500 / –		ऑनलाईन जमा करें।
15	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ / अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत् का नोटराईज्ड,संलग्न प्रारूप पर षपथ पत्र संलग्न करे।		रू. 100 / – के स्टॉम्प पेपर नाटराईज्ड, नोटराईज्ड,संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संलग्न करे।
16	आवेदनकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य सुपर स्टॉकिस्ट / वितरक / वितरक सह–परिवहनकर्ता / परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत् का नोटराईज्ड,संलग्न प्रारूप पर षपथ पत्र संलग्न करे।		रू. 100 / – के स्टॉम्प पेपर नोटराईज्ड, नोटराईज्ड,संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संलग्न करे।
17	आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंध प्रकरण दर्ज नही है। (इस बाबत् षपथ पत्र प्रस्तुत करे।)		रू. 100 / – के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड,संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संलग्न करे।
18	वर्तमान कार्यरत सुपरस्टॉकिस्ट / वितरक / वितरक सह परिवहनकर्ता / परिवहनकर्ता का दुग्ध संघ से किसी भी प्रकार का लेन–देन शेष नही होने संबंधी प्रमाण पत्र।		दुग्ध संघ से प्राप्त नोड्यूज की प्रति।
19	सत्य जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी शपथ पत्र		रू. 100 / – के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड,संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संलग्न करे।

नोटः–

1. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान / कार्य अवंटन के पश्चात / अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायलयीन कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर ....
नाम–––––––––––––––––
पता–––––––––––––––––
–––––––––––––––––
दूरभाष नम्बर –––––––––––––––––
मोबाईल नम्बर –––––––––––––––––

(सामान्य शर्ते)

प्रपत्र क्रमांक – 02

साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट तकनीकी ई–निविदा आवेदन हेतु आवश्यक शर्ते

1. आवेदनकर्ता को तकनीकी ई–निविदा आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है। आवेदक का घी विक्रय का वर्तमान कार्यक्षेत्र उज्जैन जिला होना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को तकनीकी ई–निविदा आवेदन के साथ रूपये 1,00,000/– (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) अर्नेस्टमनी के रूप में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे। चयनित आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी दुग्ध संघ द्वारा सुपरस्टॉकिस्ट की प्रतिभुति राशि के रूप में जमा की जाएगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
3. आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ में सुपर स्टॉकिस्ट स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राशि रूपये 80 लाख (जिसमें 50 लाख की बैंक ग्यारंटी एवं 30 लाख आरटीजीएस) जमा करना होगी जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। बैंक ग्यारंटी को वैद्यता तिथि के 01 माह पूर्व RENEW करवाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदनकर्ता के पास प्रतिष्ठित ब्रान्ड के घी/खाद्य तेल विक्रय का (सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक/होलसेलर) न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य हैं एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों में घी/खाद्य तेल के विक्रय का टर्नओवर न्यूनतम तीन वर्ष मिलाकर 100 करोड़ का होना आवश्यक होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु चार्टेट अकाउंटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी तीन वर्षों का (**ट्रेडिंग अकाउंट**) व्यापार खाता संलग्न करना होगा।
5. आवेदनकर्ता को सॉची घी के व्यवस्थित भंडारण हेतु गोडाउन (2 मे.टन) की व्यवस्था करनी होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम दो लोडिंग वाहन (क्षमता 1 से 1.5 मे.टन) की व्यवस्था भी करनी होगी। इस सबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध या रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी दुग्ध संघ में जमा करवाने होगें।
6. सुपरस्टॉकिस्ट को समस्त साँची घी की प्रदायगी अग्रिम भुगतान पर ही की जावेगी।
7. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही सुपर स्टॉकिस्ट को तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

8. दुग्ध संघ से सीधे घी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/उपभोक्ताओं को सीधे घी प्रदाय करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

9. सुपर स्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण जिले में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।

10. सुपरस्टाकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर निर्धारित घी विक्रय के लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11. यह कि प्रथम पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा विक्रय की जा रही मात्रा की समीक्षा समय समय पर कर सकेगा, तथा उसी अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट एजेंसी आगे ओर बढ़ायी जाना है, अथवा नहीं का निर्णय लिया जा सकेगा, जिसमें मूलतः विक्रय मात्रा वृद्धि एवं वित्तीय व्यवहार प्रमुख रहेंगे। जिसमें द्वितीय पक्ष का कोई भी दबाव अथवा अन्य कारण मान्य नहीं रहेगा।

12. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण जिले हेतु रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।

13. सुपर स्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार करवायेगा।

14. किसी भी आवेदन को सकारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

15. तकनीकी ई–निविदा आवेदन आमंत्रण प्रक्रिया में न्यूनतम तीन आवेदन प्राप्त होना अनिवार्य होगा। यदि तीन या तीन से अधिक आवेदन प्राप्त होते है एवं उनमें से केवल एक ही आवेदनकर्ता तकनीकी अर्हताओं में पात्र पाया जाता है तब उसका चयन सुपरस्टॉकिस्ट हेतु किया जावेगा लेकिन यदि दो या दो से अधिक आवेदनकर्ता तकनीकी अर्हताओं में पात्र पाये जाते है तब सुपरस्टॉकिस्ट का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।

16. सफल आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा अनुबंध का प्रारूप दुग्ध संघ द्वारा चयनित आवेदनकर्ता को प्रदाय किया जावेगा।

17. तकनीकी ई–निविदा आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवंश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात की जावेगी।

18. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो तकनीकी ई–निविदा आवेदन करते समय वर्तमान अनुबंध से सबंधित लेनदारी–देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कर नोड्यूज प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी।

19. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् आवेदनकर्ता को 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. आवेदक को आवेदन के साथ रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

21. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ किसी भी थाने मे आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नही है । इस आशय का रू. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22. यदि पक्षकारों के बीच अनुबंधित कार्य के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उस स्थिति में प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ, भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996) के तहत् निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

23. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

<u>प्रपत्र क्रमांक – 03</u>

<u>उज्जैन जिला में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु</u>
<u>तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र</u>

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम – ....

2. पिता / पति का नाम – ....

3. स्थाई पता (प्रमाण सहित) – ....
   दूरभाष नं. / मोबाईल नं. – ....

4. शैक्षणिक योग्यता – ....

5. आवेदक / फर्म का नाम / यदि फर्म पार्टनरशिप है ता पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकरी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। – ....

6. वर्तमान व्यवसाय – ....

7. वर्तमान घी / खाद्य तेल व्यवसाय का टर्न ओव्हर – ....
   (गत् 3 वर्षो में घी / खाद्य तेल विक्रय से न्युनतम 100 करोड़ का टर्न ओव्हर प्रमाणित करने हेतु तीन वर्षो का व्यापार खाता सीए द्वारा सत्यापित कर संलग्न करें।)

8. बैंक खाता नं. – ....
   बैंक का नाम – ....

9. जी.एस.टी. नम्बर – ....

10. वाहन की व्यवस्था (स्वयं का / फर्म का वाहन होना आवश्यक) – ....
    वाहन के पंजीयन / अनुबंध की छायाप्रति संलग्न करें। – ....
    (न्युनतम 1 से 1.5 मे.टन क्षमता के लोडिंग वाहन)

11.	भण्डारण हेतु	–	....
	वर्तमान क्षमता / व्यवस्था	–	....
	(न्युनतम 2 मे.टन क्षमता)		
13.	भण्डार में आगजनी रोकने हेतु सुरक्षा की व्यवस्था है अथवा नही–		....
12.	धरोहर / ई.एम.डी. राशि	–	रू..

मेरे द्वारा साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवेदन की समस्त शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं / हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हुॅ / है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं आवेदन की शर्त के बिन्दु क्रमांक 01 से 23 तक वर्णित शर्तों को पालन नही करता हूँ, तो मेरा आवेदन / अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी / प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

....

....

प्रपत्र क्रमांक – 04
(कमीशन दर संरचना प्रारूप)

सुपरस्टाकिस्ट दर					
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन					
दर सरंचना साँची घी					
साँची घी –					
विवरण	पैकिंग	सुपरस्टॉकिस्ट दर	वितरक दर	रिटेलर दर	उपभोक्ता दर
साँची घी	100 एमएल	62.85	63.89	65.77	70.00
	200 एमएल	121.05	123.05	126.75	136.00
	500 एमएल	298.70	302.80	310.40	330.00
	1 लीटर	588.80	597.30	612.50	650.00
	5 लीटर जार	2991.50	3029.00	3077.00	3225.00
	15 कि.ग्रा. जार	9480.00	9575.00	9705.00	10050.00

समय–समय पर उक्त दरें परिवर्तनशील रहेगी। परन्तु सुपरटॉकिस्ट मार्जिन अनुबंध अवधि में स्थिर रहेगा।

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

मेरे द्वारा जिला उज्जैन हेतु साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध मै/मेरी संस्था मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूॅ कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण/आर्थिक अनियमित्ता संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....

दुग्ध संघ के अध्यक्ष / संचालक / अधिकारी / कर्मचारी (वर्तमान में कार्यरत) / सुपर स्टॉकिस्ट / वितरक / वितरक सह–परिवहनकर्ता / परिवहनकर्ता से कोई संबंध नहीं होने का स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

मेरे द्वारा जिला उज्जैन हेतु साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता / करती हूॅ कि मैं / मेरी संस्था उज्जैन दुग्ध संघ के अध्यक्ष / संचालक / अधिकारी / कर्मचारी (वर्तमान में कार्यरत) / सुपर स्टॉकिस्ट / वितरक / वितरक सह–परिवहनकर्ता / परिवहनकर्ता से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

<u>एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी</u>
<u>स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप।</u>
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम — ....
पिता — ....
आयु — ....
निवासी — ....

मेरे द्वारा जिला उज्जैन हेतु साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति एजेंट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं/मेरी संस्था, एमपीसीडीएफ.भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तब दुग्ध संघ मेरा कार्य, आवंटन समाप्त कर मेरा नाम काली सूची में दर्ज करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....**

तकनीकी ई–निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी की सत्यता हेतु
स्वयं द्वारा सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

मेरे द्वारा जिला उज्जैन हेतु साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु तकनीकी ई–निविदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूॅ कि मेरे द्वारा तकनीकी ई–निविदा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारियों पूर्ण रूप से सत्य हैं।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इसमे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य अवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाई जाती है तब साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायलयीन कार्यवाही नहीं की जाएगी।

इति दिनांक .... उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता ....